International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030; Impact Factor: RJIF 5.24
Received: 29-01-2019; Accepted: 28-02-2019
www.advancedjournal.com
Volume 4; Issue 2; March 2019; Page No. 101-105

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बौद्धिक सम्पदा अधिकार

डॉ. आर. के. पाटनी [1], सुश्री अंजली पुरोहित [2]

[1] प्रोफेसर एवं अधिष्ठाता, विधि संकाय, ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

[2] शोधार्थी (विधि संकाय), ज्योति विद्यापीठ विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान, भारत।

सारांश
ट्रिप्स समझौते को बौद्धिक संपदा कानून की संरचना के स्थिर दृष्टिकोण को दर्शाने के लिए पढ़ा जा सकता है। इस पत्र में, हम पता करते हैं कि क्या - और कैसे - ट्रिप्स समझौता, अधिक तरलता के साथ पढ़ा जा सकता है, और इस प्रकार सूचना उत्पादन की गतिशील प्रकृति को प्रतिबिंबित करने के लिए डिज़ाइन किए गए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा शासनों में समायोजन की अनुमति देता है। उस जांच पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, हम यूएस पेटेंट कानून के विभिन्न तत्वों को संशोधित करके 'अपस्ट्रीम' आविष्कारों के लिए एक व्यापक सार्वजनिक डोमेन सुनिश्चित करने के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कागज तीन शैलीगत उदाहरणों पर विचार करता है और पूछता है कि क्या ट्रिप्स समझौते के गिरने के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रत्येक दृष्टिकोण को अपनाया जा सकता है जैसा कि वर्तमान में समझा जाता है। हमारा उद्देश्य व्याख्यात्मक दृष्टिकोणों की पहचान करना है जो सदस्य राज्यों को विज्ञान के विकास और जरूरतों से जुड़े अपने कानूनों को रखने की अनुमति देते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए, हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन विवाद निपटान प्रणाली द्वारा उत्पन्न औपचारिकता के स्तर के बारे में भी व्यापक प्रश्न उठाते हैं, और ट्रिप्स समझौते में अलौकिक और राष्ट्रीय संस्थानों के बीच और अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों के बीच शक्ति का आवंटन होता है।

शब्द कुंजी : अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार, आई पी आर, पेटेंट, कॉपी राइट।

परिचय
बौद्धिक संपदा अधिकार कानून हमेशा एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आयाम रहा है। ज्ञान पर आधारित जानकारी का प्रवाह जो प्रकृति द्वारा ज्यादातर अमूर्त है, अंतरिक्ष और राष्ट्रीय बोर्डर्स द्वारा विवश नहीं है। बौद्धिक संपदा अधिकार शासन ने पहले अंतरराष्ट्रीय कानून में और बाद में राष्ट्रीय शासन में एक निश्चित रूप और आकार लिया। बौद्धिक संपदा को नियंत्रित करने वाले व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता को 19 वीं शताब्दी में भी देखा जा सकता था, जो औद्योगिक संपत्ति (1883) के संरक्षण के लिए केंद्रीय परिषद और साहित्यिक और कलाकार वर्क्स (1886) के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन के साथ आया था। आधुनिक समय में, आईपीआर का अंतर्राष्ट्रीय आयाम तीन महत्वपूर्ण कारणों से बढ़ता जा रहा है, अर्थात् (i) विश्व व्यापार की संरचना में परिवर्तन (ii) वाणिज्य का अधिक अंतर्निर्भरता के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को स्थापित करना और (iii) विकसित देशों की यह आशंका कि `सूचना ग़रीब 'तीसरी दुनिया के देश बौद्धिक संपदा अधिकार की सुरक्षा के लिए अपने संबंधित कानूनी मानकों को सही ठहराते हैं, जो कि विकसित देशों के हित में नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय उपकरण
आईपीआर के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने वाले सम्मेलनों और संधियों के रूप में कई अंतर्राष्ट्रीय उपकरण हैं। औद्योगिक संपत्ति, पेटेंट, ट्रेड मार्क्स, कॉपीराइट और पड़ोसी अधिकारों और औद्योगिक डिजाइनों को नियंत्रित करने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों की सूची के लिए यहां एक प्रयास किया गया है।

1. औद्योगिक संपत्ति से संबंधित : औद्योगिक संपत्ति से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन औद्योगिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए पेरिस सम्मेलन है। यह सम्मेलन 1883 में पेरिस में संपन्न हुआ और अंततः 1967 में स्टॉकहोम में संशोधित किया गया। यह व्यापक अर्थों में औद्योगिक संपत्ति को कवर करता है, जिसमें प्रावधान, आविष्कार, व्यापार / नाम, व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, औद्योगिक डिजाइन, उपयोगिता मॉडल, स्रोत के संकेत शामिल हैं। मूल के अपीलों और अनुचित समापन के दमन। यह सबसे पुराना औद्योगिक संपत्ति कानून संधि है और इसकी सबसे बड़ी बहुपक्षीय औद्योगिक संपत्ति कानून संधि होने के अलावा सबसे बड़ी सदस्यता है।

2. पेटेंट से संबंधित: पेटेंट के अंतर्राष्ट्रीय शासन को संचालित करने वाले कई सम्मेलन और संधियाँ हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं -

(अ) पौधों की नई किस्मों (यूपीओवी) के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन : यह 1961 में पूरा हुआ और 1968 में लागू हुआ। क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देश मूल सम्मेलन के सदस्य नहीं थे, जो अधिनियम को 1978[1] में संशोधित किया गया था। 1978 अधिनियम को स्पष्ट और विस्तारित करने के लिए 1991 में और संशोधित किया गया।[2] 1 जनवरी, 1996 तक, 30 राज्य थे जो ऊपोव के लिए पार्टी बन गए। भारत उनमें से एक नहीं है। इस कन्वेंशन का उद्देश्य नए प्लांट के प्रजनक को संरक्षण या पेटेंट[3] के विशेष शीर्षक का अधिकार सुनिश्चित करना है और पेटेंट कानून में लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करना है: यानी प्लांट प्रजनकों को सुरक्षा प्रदान करने में पेटेंट सिस्टम की

[1] 23 अक्टूबर
[2] 1 जनवरी, 1997 तक, 1991 का संशोधन लागू नहीं हुआ था।
[3] अनुच्छेद 1 और 2।

सापेक्ष अक्षमता। । इसमें वानस्पतिक किस्मों के यौन और प्रजनन वाले पौधे शामिल हैं।[4] यह सम्मेलन राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों, प्रत्येक सदस्य देश द्वारा न्यूनतम और समान मानकों के रखरखाव की आवश्यकता और प्राथमिकता के अधिकार पर आधारित है: यूपीओवी केंद्रीय फाइलिंग प्रणाली के लिए प्रदान नहीं करता है, इसलिए प्रत्येक सदस्य में एक अलग आवेदन दायर करना चाहिए उस देश में सुरक्षा प्राप्त करने वाला देश। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि प्रत्येक संरक्षित किस्म को एक अलग नाम से निर्दिष्ट किया जाए जो इसका सामान्य पद बन जाए।[5] सम्मेलन के तहत एक ब्रीडर को दी गई सुरक्षा की न्यूनतम अवधि 15 वर्ष है। बेलों, जंगलों, फलों और सजावटी पेड़ों के लिए, यह 18 साल है। सम्मेलन में 42 लेख हैं जो संरक्षित अधिकारों, सुरक्षा के दायरे, संरक्षण के लिए आवश्यक शर्तों, संरक्षण की अवधि, प्राथमिकता के अधिकारों और संबंधित पहलुओं से संबंधित हैं। सम्मेलन दो स्थायी अंगों (1) परिषद की स्थापना के लिए प्रदान करता है, जिसमें सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं और (2) सचिवीय जनरल ने पौधों की नई किस्मों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के कार्यालय का हकदार है।

(ब) पेटेंट सह-संधि : राष्ट्रों ने आविष्कारों के संरक्षण के लिए आवेदनों की फाइलिंग, खोज और जांच में सह-संचालन और विशेष तकनीकी सेवाओं के प्रतिपादन के लिए राज्यों के संघ की आवश्यकता का एहसास किया है। इसका परिणाम पेटेंट सहयोग संधि (इसके बाद पीसीटी) है, जो 19 जून, 1970 को पूरी हुई और 24 जनवरी, 1978 को ही लागू हो गई। इसने सदस्य देशों में अलग-अलग आवेदन दाखिल करने की सुविधा प्रदान की। यह पेरिस संघ के तहत एक 'विशेष समझौता' है और किसी भी देश के लिए खुला है जो पेरिस संघ का सदस्य है।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट

कॉपीराइट सुरक्षा केवल भारत में प्रकाशित होने वाले कामों के लिए दी जाती है, भले ही लेखक राष्ट्रीयता के बावजूद कोई भी लेखक हो, जिसका देश एक विदेशी नागरिक हो, जो एक पारस्परिक रूप से घरेलू देश में उपलब्ध भारतीय लेखकों के कार्यों को कॉपीराइट सुरक्षा नहीं देता है आधार। मरणोपरांत प्रकाशित अप्रकाशित कार्यों और कार्यों को भी पारस्परिक आधार पर भारत में संरक्षण मिलेगा। चूंकि भारत बर्न कन्वेंशन और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का सदस्य है, कॉपीराइट संरक्षण (कुछ सीमाओं के अधीन) इन सम्मेलनों के सदस्य देशों में प्रकाशित कार्यों के लिए दिया जाता है जो व्यावहारिक रूप से दुनिया के सभी देशों को शामिल करता है।

अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, और इसकी विशेष एजेंसियों और अमेरिकी राज्यों के संगठन को प्रकाशन की जगह के बावजूद भारत में कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की जाती है, बशर्ते कि वे अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा पहली बार प्रकाशित हों और कोई कॉपीराइट नहीं हो। प्रकाशन के समय भारत में काम करना और कार्य में कोई कॉपीराइट संगठन का है।

1. साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए कॉपीराइट और बर्न कन्वेंशन

साहित्य और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ पहली बार 1886 में स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थापित किया गया था। इसे बर्न यूनियन या बर्न कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। यह 5 दिसंबर, 1887 को लागू हुआ और दो परिवर्धन के साथ इसे पांच बार संशोधित किया गया, और डब्लूआईपिओ द्वारा प्रशासित किया गया। नवीनतम पाठ पेरिस संशोधन, 1971 का है। 1 जनवरी 1996 को 117 राज्य थे जो बर्न सम्मेलन के पक्षकार बन गए थे।

2. कॉपीराइट रोम कन्वेंशन, 1961 से संबंधित अधिकार।

कलाकारों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, फोनोग्राम और प्रसारण संगठनों के निर्माता: - रोम कन्वेंशन 26 अक्टूबर, 1961 को पूरा हुआ और 18 मई, 1964 को लागू हुआ। रोम कन्वेंशन में भाग लेने की पात्रता यह है कि एक राज्य होना चाहिए। बर्न कन्वेंशन या यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन का सदस्य बनें। 1 जनवरी 1996 को 50 राज्य थे। उस दिन भारत सदस्य नहीं था। 1999 तक 62 सदस्य थे ।

कॉपीराइट का अंतर्राष्ट्रीय मामला कानून

1. अमेरिका ने यूरोपीय समुदाय और आयरलैंड के खिलाफ कॉपीराइट और पड़ोसी अधिकारों के अनुदान को प्रभावित करने वाले उपायों से संबंधित विवाद उठाया। यह अनुरोध चुनाव आयोग और आयरलैंड के कानून के तहत कॉपीराइट और पड़ोसी अधिकारों को प्रदान करने में कथित विफलता के संबंध में है।
2. चुनाव आयोग ने ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 9 (1) और बर्न कन्वेंशन के अनुच्छेद 1-21 का हवाला देते हुए यूएस कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110 (5) से संबंधित अमेरिका के खिलाफ एक विवाद खड़ा किया। यह अनुरोध यूएस कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110 (5) के संबंध में है, जैसा कि संगीत लाइसेंसिंग अधिनियम में निष्पक्षता द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे 27 अक्टूबर 1998 को लागू किया गया था। चुनाव आयोग ने कहा कि यूएस कॉपीराइट अधिनियम की धारा 110 (5) की अनुमति है ।
3. अमेरिका ने साउंड रिकॉर्डिंग के उपायों के बारे में जापान और जापान के खिलाफ को लेकर विवाद खड़ा किया। जापान के खिलाफ अमेरिका का अनुरोध ट्रम्प समझौते से जुड़ा पहला डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान मामला है। दोनों देशों ने दावा किया कि बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के लिए कॉपीराइट व्यवस्था ध्वनि रिकॉर्डिंग है, इंटर एलिया के साथ असंगत है, ट्रिप्स समझौता अनुच्छेद 14 (कलाकारों की सुरक्षा, फोनोग्राम और प्रसारण संगठनों के निर्माता)। 24 जनवरी, 1994 को दोनों दलों ने सूचित किया।
4. यूएस ने और ग्रीस के खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर मोशन पिक्चर्स और टेलीविज़न प्रोग्राम्स के अनुच्छेद 41 और 61 का हवाला देते हुए विवाद खड़ा कर दिया।

अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश, 1999[6]

कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (1957 का 14) की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, और अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश, 1991 के दमन में, केंद्र सरकार निम्नलिखित आदेश, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश को अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट आदेश, 1999 कहा जा सकता है।
   (2) यह आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगा।

[4] अनुच्छेद 4 ।
[5] अनुच्छेद 13, पैरा 1
[6] विदे एस.ओ. 22 (ई), दिनांक 24 मार्च, 1999, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, एक्स्ट्रा। भाग -2, धारा 3 (i), 6 अप्रैल, 1999 ।

2. इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
   (अ) "बर्न कन्वेंशन कंट्री" का अर्थ है एक देश जो बर्न कॉपीराइट संघ का सदस्य है, और इसमें भाग-I या अनुसूची के भाग-II में उल्लेखित देश शामिल है;
   (ब) "फोनोग्राम" का अर्थ है प्रदर्शन या अन्य ध्वनियों का विशेष रूप से एन्यूरल निर्धारण;
   (स) "फोनोग्राम्स कन्वेंशन कंट्री" का अर्थ एक ऐसा देश है, जिसने अक्टूबर के अट्ठाइसवें दिन जिनेवा में किए गए अपने फ़ोनोग्राम के अनधिकृत दोहराव के खिलाफ फोनोग्राम के निर्माता के संरक्षण के लिए कन्वेंशन या स्वीकार किया है, या कन्वेंशन का आरोप लगाया है। एक हजार नौ सौ इकहत्तर, और अनुसूची के भाग-V में उल्लिखित एक देश शामिल है;
   (द) "अनुसूची" का अर्थ इस आदेश से संबंधित है;
   (य) "यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कंट्री" का मतलब एक ऐसा देश है, जिसने यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन के लिए या तो पुष्टि की है या स्वीकार किया है, या इसमें भाग III या अनुसूची के भाग IV में उल्लेखित देश शामिल है;
   (र) "विश्व व्यापार संगठन देश" का अर्थ है एक देश जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और जिसने या तो अनुसमर्थित किया है, या स्वीकार किया है, या बौद्धिक संपदा अधिकार, 1994 के व्यापार संबंधित पहलुओं पर समझौते के लिए आरोपित है और इसमें एक देश भी शामिल है। अनुसूची के भाग-VI में उल्लेख किया गया है।

विदेशी कामों में कापियों का दायरा

किसी विदेशी कार्य में कॉपीराइट पूर्ण नहीं है और हर मामले में एक भारतीय कार्य के कॉपीराइट के बराबर है। नीचे दिए गए किसी विदेशी काम में कॉपीराइट पर कुछ सीमाएं और प्रतिबंध लगाए गए हैं:

(i) जब मूल देश में कॉपीराइट की अवधि भारत में इससे भिन्न होती है, तो भारत में भी काम के कॉपीराइट की अवधि मूल देश में इसके द्वारा प्राप्त आनंद से अधिक नहीं होगी।

(ii) अधिनियम के धारा 32 में कार्य के अनुवादों को प्रस्तुत करने और प्रकाशित करने के लिए अनिवार्य लाइसेंस से संबंधित कार्य पहले एक बर्न कन्वेंशन देश में प्रकाशित कार्य पर लागू नहीं होगा, लेकिन धारा 32 एक सार्वभौमिक कॉपीराइट कन्वेंशन देश में पहले प्रकाशित किए गए कार्य पर लागू होगा जो बर्न कन्वेंशन कंट्री का सदस्य नहीं है। धारा 32 के प्रावधान, यूनिवर्सल कन्वेंशन कंट्री के किसी भी देश में पहली बार प्रकाशित देश के किसी भी कार्य पर भी लागू होंगे, जो कार्य के संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी भारतीय भाषा में कार्य के अनुवाद के संदर्भ में बर्न कन्वेंशन देश नहीं है। इंडिया।

(iii) धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार यदि यह केंद्र सरकार को प्रतीत होता है कि कोई विदेशी देश भारतीय लेखकों के काम को पर्याप्त सुरक्षा देने या नहीं देने का प्रावधान करता है, तो केंद्र सरकार आधिकारिक आदेश में प्रकाशित कर सकती है राजपत्र यह निर्देश देता है कि इस अधिनियम के ऐसे प्रावधान जिन्हें भारत में पहली बार प्रकाशित कृतियों पर कॉपीराइट प्रदान किया गया है, वे उन कार्यों पर लागू नहीं होंगे, जो आदेश में निर्दिष्ट तिथि के बाद प्रकाशित किए गए हैं, जिन लेखकों के विषय या ऐसे विदेशी देश के नागरिक हैं और जिन पर अधिवास नहीं है। इंडिया।

अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के निर्माण के लिए कॉपीराइट संरक्षण के रूप में प्रावधान

धारा 41 में कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा किए गए या प्रकाशित किए गए कार्यों को भारत में कॉपीराइट संरक्षण प्रदान किया गया है। एक अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम, हालांकि, कुछ शर्तों को पूरा करना होता है, ताकि इस तरह के काम के लिए कॉपीराइट प्रदान किया जाता है:

1. यह काम अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाना चाहिए।
2. भारत में काम करने के समय या काम के पहले प्रकाशन पर निर्वाह में कोई कॉपीराइट नहीं होना चाहिए।
3. यदि कार्य लेखक के साथ समझौते के अनुसरण में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो लेखक और संगठन के बीच समझौते को लेखक को काम में कोई कॉपीराइट आरक्षित नहीं करना चाहिए। काम में कॉपीराइट संगठन के साथ निहित होगा।

धारा 41 (3) के प्रावधानों के अनुसार, केंद्र सरकार ने कॉपीराइट [अंतर्राष्ट्रीय संगठन आदेश, 1958] पारित किया, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के कार्य के लिए कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान की गई:

1. संयुक्त राष्ट्र संगठन।
2. संयुक्त राष्ट्र संगठनों की विशिष्ट एजेंसियां।
3. अमेरिकी राज्यों के संगठन।

व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय कानून

विश्व व्यापार संगठन के ट्रिप्स समझौते:- ट्रिप्स समझौते के भाग-II के खंड-2 का संबंध 'ट्रेड मार्क्स' से है। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश पंजीकृत व्यापार चिह्नों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए बाध्य हैं।

(1) ट्रेड मार्क के सुरक्षित विषय

1. कोई भी संकेत, या किसी भी संयोजन, जो अन्य उपक्रमों के किसी उपक्रम के सामान या सेवाओं को अलग करने में सक्षम है, व्यापार चिह्न बनाने में सक्षम होगा। इस तरह के संकेत, विशेष रूप से व्यक्तिगत नाम, पत्र, अंक, आलंकारिक तत्व और रंगों के संयोजन के साथ-साथ ऐसे संकेतों के किसी भी संयोजन सहित, व्यापार चिह्न के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। जहां संकेत संबंधित वस्तुओं या सेवाओं को भेद करने में स्वाभाविक रूप से सक्षम नहीं हैं, सदस्य उपयोग के माध्यम से हासिल की गई विशिष्टता पर निर्भरता बना सकते हैं।
2. उपरोक्त अनुच्छेद को अन्य आधार पर किसी सदस्य को व्यापार चिह्न के पंजीकरण से इनकार करने से रोकने के लिए नहीं समझा जाएगा, बशर्ते कि वे पेरिस समझौते, 1967 के प्रावधानों से अलग न हों।
3. सदस्य नियमितता का उपयोग करने पर निर्भर हो सकते हैं। हालांकि, पंजीकरण के लिए एक आवेदन पत्र दाखिल करने के लिए एक व्यापार चिह्न का वास्तविक उपयोग एक शर्त नहीं होगी। आवेदन को केवल उस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका उपयोग आवेदन की तारीख से तीन साल की अवधि समाप्त होने से पहले नहीं किया गया है।
4. वस्तुओं या सेवाओं की प्रकृति, जिस पर व्यापार चिह्न लगाया जाना है, किसी भी स्थिति में व्यापार चिह्न के पंजीकरण में बाधा नहीं बनेगी।
5. सदस्य पंजीकृत होने के तुरंत बाद या पंजीकृत होने से पहले प्रत्येक व्यापार चिह्न को प्रकाशित करेंगे और पंजीकरण रद्द करने के लिए याचिकाओं के लिए उचित अवसर प्रदान करेंगे। इसके अलावा, सदस्य विरोध किए जाने वाले व्यापार चिह्न के

पंजीकरण के लिए एक अवसर दे सकते हैं (अनुच्छेद 15)

(2) औद्योगिक डिजाइन से संबंधित

1. औद्योगिक डिजाइनों के संबंध में, उल्लंघन से उनकी सुरक्षा के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय उपकरण हैं। उनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ चर्चा की गई है।
2. (अ) औद्योगिक डिजाइनों के अंतर्राष्ट्रीय जमा के संबंध में हेग समझौता: -यह समझौता मूल रूप से 6 नवंबर, 1925 को पूरा हुआ और 2 जून, 1934 को लंदन में संशोधित किया गया और 28 नवंबर, 1960 को अतिरिक्त अधिनियम द्वारा । 28 नवंबर, 1961 के मोनाको का 14 जुलाई 1967 के स्टॉकहोम का पूरक अधिनियम, 2 अक्टूबर, 1979 को संशोधित किया गया और 29 अगस्त, 1975 के जिनेवा के प्रोटोकॉल में। हालांकि, 25 राज्यों में से अधिकांश 1960 के हेग संशोधन का पालन करते हैं। 1960 के हेग संशोधन के साथ शुरू, अनुबंधित राज्य औद्योगिक डिजाइन के लिए अंतरराष्ट्रीय जमा के लिए एक अलग संघ का गठन करते हैं। हेग संघ की सदस्यता के लिए पात्रता पेरिस संघ की सदस्यता है।
3. विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के बौद्धिक संपदा अधिकार (ट्रिप्स) समझौते के व्यापार-संबंधित पहलू
4. बौद्धिक संपदा अधिकार निजी अधिकार हैं, लेकिन बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सिद्धांतों, नियमों और विषयों की बहुपक्षीय रूपरेखा की आवश्यकता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) और पेरिस कन्वेंशन पहले से ही पेटेंट को अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। हालांकि, कानून लागू करने के लिए उनके पास अधिकार नहीं है। डब्ल्यूटीओ के समझौते आम विवाद निपटान प्रणाली के अधीन हैं, इसलिए डब्ल्यूटीओ के तहत बौद्धिक संपदा लाने के प्रयासों को ट्रेड-रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (ट्रिप्स) के रूप में किया जाता है।
5. ट्रिप्स समझौते को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की स्थापना अनुबंध अनुबंध के रूप में जोड़ा गया है। यह बहुपक्षीय व्यापार समझौता है।
6. ट्रिप्स डब्ल्यूटीओ समझौते का एक अभिन्न अंग है, जो विश्व व्यापार संगठन समझौते के अनुच्छेद II (2) के अनुसार सभी सदस्य देशों को बाध्य करता है। TRIPS समझौते में अन्य प्रमुख विश्व व्यापार संगठन समझौतों के अधिकांश के विपरीत कोई अनुलग्नक या मंत्रिस्तरीय निर्णय नहीं हैं। ट्रिप्स के कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है।
7. ट्रिप्स पर समझौते का उद्देश्य रचनात्मकता और आविष्कार को पुरस्कृत करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना है। मूल पुंटे डे एस्टे। 1986 में उरुग्वे दौर की शुरुआत में गेट की घोषणा ने ट्रिप्स का कोई संदर्भ नहीं दिया। यह अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में ही मूल उरुग्वे गोल एजेंडा में जोड़ा गया था। विकासशील देशों ने केवल इस शर्त पर उरुग्वे दौर में ट्रिप्स को शामिल करने पर सहमति व्यक्त की कि एमएफए के तहत कपड़ा और कपड़े कोटा जाएंगे। पहली बार, गैट, 1994 के तत्वावधान में, बहुपक्षीय वार्ता के तहत ट्रिप्स पर बातचीत की गई है।

(3) उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (नाफ्टा)

1. तीन उत्तर-अमेरिकी देशों अर्थात् संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के बीच यह समझौता दिसंबर, 1992 में संपन्न हुआ और 1 जनवरी, 1994 को तीन देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार समझौते के रूप में लागू हुआ। नाफ्टा का अध्याय 17 सुरक्षा आईपीआर और तीन नाफ्टा देशों में आईपीआर के प्रवर्तन के लिए व्यापक मानक स्थापित करता है।
2. इसके लिए प्रत्येक सरकार को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आईपीआर सम्मेलनों और पूरक संपत्तियों के मूल प्रावधानों को लागू करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आईपीआर की सुरक्षा के लिए प्रत्येक देश में प्रवर्तन प्रक्रियाएं उपलब्ध होंगी। नाफ्टा के तहत, प्रत्येक सरकार को कई अंतरराष्ट्रीय समझौतों जैसे यूनियन ऑफ पेरिस, बर्न कन्वेंशन, जिनेवा कन्वेंशन, यूपीओवी के महत्वपूर्ण दायित्वों को प्रभावित करना चाहिए। यह समझौता तीन सरकारों पर एक व्यापक

निष्कर्ष

अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रणाली सम्मिलित, अतिव्यापी और समानांतर संधियों और संस्थाओं से सम्मिलित है, जो मुद्दों, राज्यों और गैर-राज्य अभिनेताओं की शिफ्टिंग मोज़ेक द्वारा आबाद है। बौद्धिक संपदा की अंतरराष्ट्रीय और घरेलू राजनीति को समझने की कोशिश करने वाले विद्वानों को उन तरीकों पर विचार करना चाहिए, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय शासन की जटिलता राज्य और गैर-स्थिर अभिनेताओं की रणनीतियों को आकार देती है क्योंकि वे नवाचार और रचनात्मकता नीतियों को नियंत्रित करने वाले नियमों पर कानूनी और नीतिगत प्रभुत्व के लिए बाध्य हैं।

ट्रिप्स समझौते का विकासशील और कम से कम विकसित देशों के विकास विकल्पों के लिए गहरा प्रभाव है। हालांकि, ऐसे तरीके हैं, जिनमें डब्ल्यूटीओ के सदस्य वैध सामाजिक-आर्थिक और विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से ट्रिप्स समझौते को आकार दे सकते हैं।

वैचारिक रूप से, तीन अलग-अलग तरीके हैं जिनमें यह किया जा सकता है। सबसे पहले, कोई व्यक्ति कुछ प्रावधानों को ठीक से "संचालित" कर सकता है जो पहले से ही ट्रिप्स समझौते में उपलब्ध हैं (उदाहरण के लेख 7 और 8 उद्देश्य और सिद्धांतों के साथ काम करना)।

अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून के तहत ट्रिप्स समझौते ने ऐसे प्रावधान पेश किए जो सीमा पार लेनदेन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रतिबंधित करते हैं। यद्यपि व्यापार प्रावधानों को पहले से ही माना जाता है, ट्रिप्स अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक कानून से प्राप्त आर्थिक विकास के विषय में सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान साबित हो सकता है। आर्थिक विकास के लिए आवश्यक समझी जाने वाली प्रौद्योगिकी का प्रसार एक नई वैश्विक प्रणाली में बौद्धिक संपदा अधिकार की कानूनी नींव के खिलाफ आया है जो वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले नियम-आधारित शासन प्रदान करने में अन्यथा लाभदायक रहा है।

संदर्भ

1. बार्ड शेर्मन एवं लिओनेल बेंटली, द मेकिंग ऑफ़ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, (1999), कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, डेविड बैनब्रिज, केसेस एंड मैटेरियल्स इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, 1995 पिटमैन पब्लिशिंग, लंदन.
2. डेविड सौंडर्स, ऑथोरशिप एंड कॉपीराइट, (1992) रूटलेज, ओनदों एवं न्यू यॉर्क.
3. डेविड बैनब्रिज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पांचवा संस्करण (2002), पार्सन एजुकेशन लिमिटेड, लंदन.
4. हिल्लारी इ. पीयरसन एंड मिलर सी.जी., कमर्शियल एक्सप्लोइटेशन ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी (1994), यूनिवर्सल बुक ट्रेडर्स, नई दिल्ली.
5. जेम्स बॉयल, शामन्स, सॉफ्टवेयर, एंड स्प्लीनस – लॉ एंड द

कंस्ट्रक्शन ऑफ़ द इनफार्मेशन सोसाइटी, 1996) हारवर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, कैंब्रिज, मस्सचुसेल्स, लंदन.
6. जॉन गुणसे, कॉपीराइट थेफ़्ट, 1995 ए एस एल आई बी गोवेर, हैम्पशायर, इंग्लैंड.
7. कला ठैरानी, हाउ कॉपीराइट वर्क्स इन प्रैक्टिस, 1996, पॉपुलर प्रकाशन, बॉम्बे.
8. लीमन रे पटेरसों, कॉपीराइट इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स, 1968 वेंडरबिल्ट युनिवर्सिटी प्रेस, नैशविल.
9. मैनुअल ऑफ़ कॉपीराइट एनफोर्समेंट, द फेडरेशन ऑफ़ इंडिया पब्लिशर्स, नई दिल्ली.
10. मार्शल ए लफ्फेर,इंटरनेशनल ट्रीटीएस ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, द्वितीय संस्करण, द ब्यूरो ऑफ़ नेशनल अफेयर्स, इंक. वाशिंगटन, डी सी
11. रॉडनी डी राइडर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड द इंटरनेट, (2002), बटरवर्थ'स नई दिल्ली.
12. यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस, ऑफिस ऑफ़ टेक्नोलॉजी असेसमेंट : फाइंडिंग ए बैलेंस : कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एंड द चैलेंज ऑफ़ टेक्नोलॉजिकल चेंज, वाशिंगटन, डी सी : यु एस गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस, मई, 1992.
13. विकास वशिष्ठ, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन इंडिया, (1999), भारत लॉ हाउस, नई दिल्ली.
14. डब्लू. आर. कोर्निश, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी : पेटेंटस कॉपीराइट, ट्रेड मार्क्स, एंड अलाइड राइट्स, 1999, स्वीट एंड मैक्सवेल, लंदन.
15. http://www.banet.org:80/intelpropthom.html
16. http://www.aipla.org
17. http://www.bsa.org
18. http://www.epo.co.at/epo
19. http://www.inta.org
20. http://www.nmpa.org/
21. http://www.law.cornell.edu/uscode135/
22. http://www.slia.net/
23. http://www.loc.gov/copyright/title17/
24. http://www.eb.loc.gov/copyright/
25. www.uspto.gov
26. www.un.org/
27. www.uncitral.org/en-index.html
28. www.unctad.org
29. www.unitar.org/
30. www.wipo.org/about-ip/en/
31. www.wto.org/english/tratoe/com elecom_e.html
32. www.iprcommission.org
33. www.bc.edu/bc_org/avp/law/st_org/iptf/commentary/content
34. www.bitlaw.com
35. www.copyright.com